

पत्रांक-C4/HFA-10/2016

269

/न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-23/3/17

विषय:- सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 35 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश कुल राशि ₹522.52 लाख के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि TSP मद में ₹4.17 लाख रू0 एवं SCSP मद में ₹169.97 लाख रू0 अर्थात् कुल राशि ₹174.14 लाख रू0 (एक करोड़ चौहत्तर लाख चौदह हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक-17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक-N-11011/01/2016-HFA-III(FTS 15226) दिनांक-25.04.2016 द्वारा राज्य के 35 नगर निकायों हेतु ₹509.95 लाख रू0 SCSP मद में एवं ₹12.57 लाख रू0 TSP मद में अर्थात् कुल राशि ₹522.52 लाख रू0 विमुक्त की गई है। जिसकी निकासी स्वीकृत्यादेश सं0-60 दिनांक-15.09.16 एवं आवंटनादेश सं0-61 दिनांक-15.09.16 द्वारा की गई है। अनुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी की जानी है। तदनुसार स्वीकृत्यादेश सं0-268 दिनांक-23/3/17 के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ 8 में अंकित अनुपातिक राज्यांश की राशि TSP मद में ₹4.17 लाख रू0 एवं SCSP मद में ₹169.97 लाख रू0 अर्थात् कुल राशि ₹174.14 लाख रू0 (एक करोड़ चौहत्तर लाख चौदह हजार रू0 मात्र) (स्तम्भ-8 में अंकित राशि) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में आवंटन की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	स्वीकृत आवासीय इकाई (DU) की सं0	केन्द्रांश की वचनबद्ध राशि (@ 1.50 lakh/DU)	केन्द्रांश की TSP एवं SCSP मद में कुल विमुक्त राशि	TSP मद में विमुक्त अनुपातिक राज्यांश की राशि	SCSP मद में विमुक्त अनुपातिक राज्यांश की राशि	TSP मद एवं SCSP मद में विमुक्त राज्यांश की कुल राशि (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैरगनिया	51	76.50	10.39	0.01	3.46	3.47
2	बखरी	225	337.50	10.64	0.00	3.55	3.55

3	बलिया	211	316.50	11.29	0.00	3.76	3.76
4	बड़हिया	98	147.00	9.36	0.01	3.11	3.12
5	बेलसण्ड	670	1005.00	6.48	0.00	2.16	2.16
6	बिहिया	100	150.00	6.47	0.35	1.80	2.15
7	भागलपुर	709	1063.50	74.14	0.44	24.28	24.72
8	बीहट	375	562.50	19.37	0.11	6.34	6.45
9	चकिया	100	150.00	6.41	0.00	2.13	2.13
10	चनपटिया	75	112.50	4.03	0.05	1.29	1.34
11	छपरा	562	843.00	37.76	0.23	12.35	12.58
12	डुमराँव	500	750.00	12.67	0.46	3.76	4.22
13	गोगरी जमालपुर	257	385.50	6.24	0.00	2.08	2.08
14	हाजीपुर	304	456.00	55.63	0.04	18.50	18.54
15	हिलसा	508	762.00	14.68	0.01	4.88	4.89
16	हिसुआ	160	240.00	13.78	0.00	4.59	4.59
17	ईसलामपुर	40	60.00	8.23	0.00	2.74	2.74
18	झाझा	200	300.00	12.86	0.16	4.12	4.28
19	झंझारपुर	500	750.00	7.00	0.01	2.33	2.34
20	खगड़िया	500	750.00	8.54	0.04	2.81	2.85
21	खगौल	45	67.50	17.17	0.16	5.56	5.72
22	खुशरूपुर	500	750.00	6.02	0.01	2.00	2.01
23	किशनगंज	458	687.00	29.41	0.66	9.14	9.80
24	लखीसराय	145	217.50	24.13	0.07	7.97	8.04
25	महारजगंज	808	1212.00	4.48	0.30	1.19	1.49
26	मैरवा	105	157.50	4.47	0.40	1.09	1.49
27	मुरलीगंज	786	1197.00	8.89	0.02	2.94	2.96
28	निर्मली	60	90.00	4.41	0.00	1.47	1.47
29	फुलवारीशरीफ	319	478.50	14.79	0.06	4.87	4.93
30	राजगीर	300	450.00	26.18	0.02	8.71	8.73
31	रीविलगंज	100	150.00	9.88	0.06	3.23	3.29
32	शिवहर	550	825.00	8.36	0.01	2.78	2.79
33	शेरघाटी	60	90.00	13.83	0.01	4.60	4.61
34	तेघरा	100	150.00	9.94	0.01	3.31	3.32
35	ठाकुरगंज	484	726.00	4.59	0.46	1.07	1.53
	कुल	10965	16465.5	522.52	4.17	169.97	174.14

2. स्वीकृत राशि ₹174.14 लाख रु0 (एक करोड़ चौहत्तर लाख चौदह हजार रु0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार चयनित नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।


5. (i) स्वीकृत राशि ₹174.14 लाख रू0 (एक करोड़ चौहत्तर लाख चौदह हजार रू0 मात्र) में से ₹169.97 लाख रू0 (एक करोड़ उनहत्तर लाख संतानवे हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0305- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217017890305 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 650.47 लाख रू0 का बजट उपबंध अवशेष है।

(ii) स्वीकृत राशि ₹174.14 लाख रू0 (एक करोड़ चौहत्तर लाख चौदह हजार रू0 मात्र) में से ₹4.17 लाख रू0 (चार लाख सत्रह हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-796, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-0301- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217017960301 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 25.54 लाख रू0 का बजट उपबंध अवशेष है।

6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापक-04/HFA-10/2016

269

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

दिनांक- 23/3/17




सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016

269

दिनांक- 23-3-17

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना/संबंधित नगर निकायों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक-23/3/17

विषय:- सबके लिए आवास (शहरी) योजना के अधीन राज्य के 35 नगर निकायों में योजना के कार्यान्वयन हेतु विमुक्त केन्द्रांश कुल राशि ₹522.52 लाख के विरुद्ध अनुपातिक राज्यांश की राशि TSP मद में ₹4.17 लाख रू0 एवं SCSP मद में ₹169.97 लाख रू0 अर्थात् कुल राशि ₹174.14 लाख रू0 (एक करोड़ चौहत्तर लाख चौदह हजार रू0 मात्र) की सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा "सबके लिए आवास (शहरी)" योजना का शुभारंभ दिनांक-17.06.2015 से किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे आवासविहीन परिवारों को कम से कम 30 वर्गमीटर का पक्का आवास उपलब्ध कराना है। योजना के कार्यान्वयन हेतु मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शिका जारी की गयी है।

मंत्रालय के पत्रांक-N-11011/01/2016-HFA-III(FTS 15226) दिनांक-25.04.2016 द्वारा राज्य के 35 नगर निकायों हेतु ₹509.95 लाख रू0 SCSP मद में एवं ₹12.57 लाख रू0 TSP मद में अर्थात् कुल राशि ₹522.52 लाख रू0 विमुक्त की गई है। जिसकी निकासी स्वीकृत्यादेश सं0-60 दिनांक-15.09.16 एवं आवंटनादेश सं0-61 दिनांक-15.09.16 द्वारा की गई है। अनुपातिक राज्यांश की राशि की निकासी की जानी है। तदनुसार योजना के कार्यान्वयन हेतु स्तम्भ 8 में अंकित अनुपातिक राज्यांश की राशि TSP मद में ₹4.17 लाख रू0 एवं SCSP मद में ₹169.97 लाख रू0 अर्थात् कुल राशि ₹174.14 लाख रू0 (एक करोड़ चौहत्तर लाख चौदह हजार रू0 मात्र) (स्तम्भ-8 में अंकित राशि) सहायक अनुदान के रूप में वित्तीय वर्ष 2016-17 में निकासी की स्वीकृति निम्नवत् प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	नगर निकाय का नाम	स्वीकृत आवासीय इकाई (DU) की सं0	केन्द्रांश की वचनबद्ध राशि (@ 1.50 lakh/DU)	केन्द्रांश की TSP एवं SCSP मद में कुल विमुक्त राशि	TSP मद में विमुक्त अनुपातिक राज्यांश की राशि	SCSP मद में विमुक्त अनुपातिक राज्यांश की राशि	TSP मद एवं SCSP मद में विमुक्त राज्यांश की कुल राशि (6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बैरगनिया	51	76.50	10.39	0.01	3.46	3.47
2	बखरी	225	337.50	10.64	0.00	3.55	3.55
3	बलिया	211	316.50	11.29	0.00	3.76	3.76
4	बड़हिया	98	147.00	9.36	0.01	3.11	3.12

5	बेलसण्ड	670	1005.00	6.48	0.00	2.16	2.16
6	बिहिया	100	150.00	6.47	0.35	1.80	2.15
7	भागलपुर	709	1063.50	74.14	0.44	24.28	24.72
8	बीहट	375	562.50	19.37	0.11	6.34	6.45
9	चकिया	100	150.00	6.41	0.00	2.13	2.13
10	चनपटिया	75	112.50	4.03	0.05	1.29	1.34
11	छपरा	562	843.00	37.76	0.23	12.35	12.58
12	डुमराँव	500	750.00	12.67	0.46	3.76	4.22
13	गोगरी जमालपुर	257	385.50	6.24	0.00	2.08	2.08
14	हाजीपुर	304	456.00	55.63	0.04	18.50	18.54
15	हिलसा	508	762.00	14.68	0.01	4.88	4.89
16	हिसुआ	160	240.00	13.78	0.00	4.59	4.59
17	ईसलामपुर	40	60.00	8.23	0.00	2.74	2.74
18	झाझा	200	300.00	12.86	0.16	4.12	4.28
19	झंझारपुर	500	750.00	7.00	0.01	2.33	2.34
20	खगड़िया	500	750.00	8.54	0.04	2.81	2.85
21	खगौल	45	67.50	17.17	0.16	5.56	5.72
22	खुशरूपुर	500	750.00	6.02	0.01	2.00	2.01
23	किशनगंज	458	687.00	29.41	0.66	9.14	9.80
24	लखीसराय	145	217.50	24.13	0.07	7.97	8.04
25	महारजगंज	808	1212.00	4.48	0.30	1.19	1.49
26	मैरवा	105	157.50	4.47	0.40	1.09	1.49
27	मुरलीगंज	786	1197.00	8.89	0.02	2.94	2.96
28	निर्मली	60	90.00	4.41	0.00	1.47	1.47
29	फुलवारीशरीफ	319	478.50	14.79	0.06	4.87	4.93
30	राजगीर	300	450.00	26.18	0.02	8.71	8.73
31	रीविलगंज	100	150.00	9.88	0.06	3.23	3.29
32	शिवहर	550	825.00	8.36	0.01	2.78	2.79
33	शेरघाटी	60	90.00	13.83	0.01	4.60	4.61
34	तेघरा	100	150.00	9.94	0.01	3.31	3.32
35	ठाकुरगंज	484	726.00	4.59	0.46	1.07	1.53
	कुल	10965	16465.5	522.52	4.17	169.97	174.14

2. स्वीकृत राशि ₹174.14 लाख रू0 (एक करोड़ चौहत्तर लाख चौदह हजार रू0 मात्र) के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना होंगे, जिनके द्वारा उक्त राशि की एक मुश्त निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के अंतर्गत सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी तथा बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को बैंक ड्राफ्ट द्वारा उपलब्ध करा दिया जायेगा, जो आवश्यकतानुसार चयनित नगर निकायों/एजेंसी को RTGS के माध्यम से विमुक्त किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561 दिनांक-17.04.98, ज्ञापांक-5193 दिनांक-28.06.16 एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 के अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। यह राशि शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह योजना नयी है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र सं.-7355 वि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में विषयांकित मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

5. (i) स्वीकृत राशि ₹174.14 लाख रू0 (एक करोड़ चौहत्तर लाख चौदह हजार रू0 मात्र) में से ₹169.97 लाख रू0 (एक करोड़ उनहत्तर लाख सतानवे हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप शीर्ष-0305- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217017890305 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 650.47 लाख रू0 का बजट उपबंध अवशेष है।


(ii) स्वीकृत राशि ₹174.14 लाख रू0 (एक करोड़ चौहत्तर लाख चौदह हजार रू0 मात्र) में से ₹4.17 लाख रू0 (चार लाख सत्रह हजार रू0 मात्र) माँग सं0-48, मुख्य शीर्ष-2217- शहरी विकास, उप मुख्य शीर्ष-01 - राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष-796, जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-0301- सबके लिए आवास (शहरी) मिशन, विषय शीर्ष 3105-सहायक अनुदान -परिसंपत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड-P2217017960301 अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में विकलनीय होगा। इस बजट शीर्ष में 25.54 लाख रू0 का बजट उपबंध अवशेष है।

6. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं भारत सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।

7. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

8. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार, विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृ0-47/टि0 पर दिनांक- 23.03.2017 को प्राप्त है।

9. प्रस्ताव में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृ0-47/टि0 पर दिनांक- 21.03.2017 को प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 268

दिनांक- 23/3/17


प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-04/HFA-10/2016 268

दिनांक- 23/3/17

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मा0 मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/लेखापाल, बुडा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ विभागीय आई0टी0 प्रबंधक को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार, पटना/संबंधित नगर निकायों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


सरकार के विशेष सचिव।

र.व. ✓